प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 03 जुलाई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह, जनपद-कानपुर नगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-39803/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.10.2025), दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह (दिनांक 22.01.2023 तक बंदी की आयु 57 वर्ष) जो करौली, थाना-बिधनू, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। भैस के दूध के पैसों के लेन-देन व जमीनी विवाद के कारण दिनांक 30.08.2004 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, पेचकश व तेजाब से ननकऊ, रिषू व छंगे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण जी०एस०टी० नं0- 105/2006, भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 506 (पार्ट-2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-02 कानपुर नगर, के दण्डादेश दिनांक 19.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 22.01.2023 के अनुसार बन्दी द्वारा अपरिहार 16 वर्ष, **18** दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, **02** दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है, जिसके दृष्टिगत बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्य पूर्ण होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में भैंस के दूध के पैसों के लेन-देन व जमीनी विवाद के कारण दिनांक 30.08.2004 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, पेंचकस व तेजाब से ननकऊ, रिषू व छंगे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबख्श सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह **(**बंदी संख्या-26559**)** पुत्र श्री रामबक्श सिंह, जनपद-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कानपुर नगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-876/2026/2206(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-876/2026/2206/22-2-2025-17(823)/2023
दिनांक 03 जुलाई, 2026 का संलग्नक
सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबक्श सिंह (दिनांक 22.01.2023 तक बंदी की आयु 57 वर्ष) जो करौली, थाना-बिधनू, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। भैस के दूध के पैसों के लेन-देन व जमीनी विवाद के कारण दिनांक 30.08.2004 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, पेचकश व तेजाब से ननकऊ, रिषू व छंगे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण जी०एस०टी० नं0- 105/2006, भा0द0वि0 की धारा- 302/34, 506 (पार्ट-2) के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-02 कानपुर नगर, के दण्डादेश दिनांक 19.09.2009 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बंदी द्वारा दिनांक 22.01.2023 के अनुसार बन्दी द्वारा अपरिहार 16 वर्ष, **18** दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, **02** दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा द्वारा बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, दोनों पक्षों में मध्य विवाद समाप्त नहीं हुआ है, जिसके दृष्टिगत बन्दी को कारागार में निरूद्ध रखा जाना औचित्य पूर्ण होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में भैंस के दूध के पैसों के लेन-देन व जमीनी विवाद के कारण दिनांक 30.08.2004 को बंदी ने अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, पेंचकस व तेजाब से ननकऊ, रिषू व छंगे नामक 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी देशराज सिंह पुत्र श्री रामबख्श सिंह को फार्म-ए / लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in